

टायर निर्माताओं के खिलाफ सुनवाई 12 को

नई दिल्ली • सीसीआई देश के बड़े टायर निर्माताओं के खिलाफ कार्टलाइजेशन के आरोपों की सुनवाई 12 जुलाई को करेगा। सीसीआई के डायरेक्टर जनरल (इनवेस्टीगेशन) ने इस मामले की जांच करके 25 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद सीसीआई ने शिकायतकर्ता ऑल इंडिया टायर डीलर्स फैडरेशन, टायर निर्माता कंपनियों और इनकी संस्था ऑटोमेटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन को जुलाई के पहले सप्ताह तक जरूरी दस्तावेज जमा करने का समय दिया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार अपोलो, जे.के. टायर, सिएट, एमआरएफ और बिरला टायर पर कार्टलाइजेशन करके दाम बढ़ाने का आरोप है। टायर डीलर्स फैडरेशन ने 2006-07 में इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। फरवरी 2010 के बाद से मामला सीसीआई के पास है। इस वर्ष जनवरी से अभी तक टायर निर्माता 15 से 23 फीसदी तक दाम बढ़ा चुके हैं। हालांकि पिछले दो महीनों में नेचुरल रबर की कीमतों में 12 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। (ब्यूरो)